न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /07/2023

चन्द्रभान पुत्र नन्दराम जाति जाटव निवासी ग्रांम लुहारा तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1—राहुल कुमार पुत्र विजेन्द्र
2—सुन्दरी पत्नी विजेन्द्र
3—दीपक पुत्र विजेन्द्र नाबालिग जरिये सरंक्षक माता सुन्दरी पत्नी विजेन्द्र
} जाति जाटव निवासी ग्रांम लुहारा तहसील नदबई जिला भरतपुर

4— तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

...... रेस्पो0

अपील अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 2241 दिनांक 10.11.2022 बाके कस्वा नदबई प्रथम।

उपस्थित :—
1—श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—पैरोकार सरकार रेस्पो0 न.4

निर्णय दिनांक 30.08.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 10—11—2022 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2241 दिनांक 10.11.2022 मृतक विजेन्द्र पुत्र नन्दराम की विरासत का रेस्पो संख्या 1,2 व 3 के हक स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार नदवई के पत्रांक/एलआर/24/574 दिनांक 26.2.2024 से प्राप्त नामान्तकरण संख्या 2241 की सत्यप्रतिलिपि शामिल मिसिल की गई। रेस्पो संख्या 1,2 व 3 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की वहस सुनी गई।

...........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2241 संरपच ग्राम पंचायत लुहासा के पत्र दिनांक 25.1.2022 के वारिस प्रमाण पत्र आधार पर रेस्पो के हक में विरासत का दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है, जो नियमों के खिलाफ स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि सरंपच ग्राम पंचायत को किसी का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार हासिल नहीं है, उत्तराधिकार केवल सिविल न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। विजेन्द्र लावल्द बिला औरत फोत हुआ है। अपीलान्ट उसके द्वितीय श्रेणी के वारिस विजेन्द्र मृतक का सगा भाई अर्थात नन्दराम का पुत्र है। काननू मृतक विजेन्द्र की लालवल्द बिला औरत मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत उसके भाई चन्द्रभान पुत्र नन्दराम अपीलान्ट के नाम खुलनी चाहिये थी। अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार नदबई को नामान्तकरण विरासत स्वीकार किये जाने को पेश किया था जो तहसीलदार ने खारिज कर दिया था। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि रेस्पो संख्या 1,2,व 3 मृतक विजेन्द्र पुत्र नन्दराम के वारिस न होकर उम्मदी पुत्र जीवनलाल निवासी पोछड़ी खरेटा हिण्डौन सिटी के वारिसान है। रेस्पो के दस्तावेज जिनमें रेस्पो संख्या 1 राहुल के राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर कक्षा 10 वर्ष 2019 की मार्कसीट रौल नम्बर 32035182108 में एवं राहुल के आधार कार्ड संख्या 751741849967 व जन आधार कार्ड संख्या 9999 C5E 900094 में राहुल के पिता का नाम उम्मेदीलाल अंकित है, रेस्पो. संख्या 3 दीपक के आधार कार्ड संख्या 807108265183 व जन आधार कार्ड संख्या 9999 C5E 900094 में भी दीपक के पिता का नाम उम्मेदी अंकित है एवं रेस्पो.2 सुन्दरी के पति का नाम उम्मेदीलाल राज0 निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली वर्ष 2021 विधान सभा क्षेत्र 83 करोली वार्ड संख्या 5 के क्रम संख्या 21 पर दर्ज है। इस प्रकार जन आधार कार्ड संख्या 9999 C5E 900094 में भी सुन्दरी के पति का नाम उम्मेदी अंकित है। इस प्रकार तहत न्यायालय ने बिना विधिक वारिसान की जॉच किये अपीलाधीन आदेश नियमों के विपरीत पारित किया है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि विवादित आराजी को लेकर एक नियमित दावा संख्या 193/2021 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय नदबई में विचाराधीन है, जिसमें तहसीलदार नदबई पक्षकार है समस्त तथ्यों को छिपाकर तहसीलदार नदवई ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार का कहना है कि मृतक विजेन्द्र पुत्र नन्दराम की विरासत का नामान्तकरण संरपच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। अपील खारिज की जावे।

..........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /07/2024
चन्द्रभान बनाम राहुल वगै0

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभापक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया। तहत पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। अपीलान्ट का यह कहना कि विना जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि मृतक विजेन्द्र के वारिसान की जांच के सम्बन्ध में तहसीलदार नदवई द्वारा काराई गई जांच मौका पर्चा ग्राम लुहासा जांच रिपोर्ट इंचार्ज आई.एल.आर. कस्वा नदवई दिनांक 11.3.22 के आधार पर एवं ग्राम पचांयत लुहासा नदबई के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2241 दर्ज किया जाकर दिनांक 10.11.2022 को स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। जहॉ तक प्रश्न उपखण्ड अधिकारी नदबई में विवादित आराजी को लेकर विचाराधीन दावा का है। दावा में जो भी निर्णय होगा तद्नुसार कार्यवाही के को तहसीलदार नदबई स्वतन्त्र है।

इस प्रकार अपील अपीलान्ट काबिल खारिज योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.8.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर